

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक : वसूली/2013-14/विशेष छूट/लीज/89/244 दिनांक : 12-9-13

--:: कार्यालय आदेश ::--

“प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012” में आवेदन पत्र लिये जाने हेतु संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा समसंख्यक दिनांक 02.04.2013 एवं दिनांक 19.06.2013 की अनुपालना में मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 54 दिनांक 24.04.2013 एवं आदेश क्रमांक 167 दिनांक 04.07.13 जारी किये गये थे। उसी के अनुसरण में संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 दिनांक 31.07.2013 द्वारा छूट की अवधि 30.09.2013 तक बढ़ाई गई है।


इसी क्रम में मण्डल स्तर पर भी लीज राशि के ब्याज/शास्ति मे छूट के लिए आवेदन प्राप्त करने एवं निस्तारण करने की तिथि 30.09.13 तक बढ़ाई जाती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि दिनांक 30.09.2013 तक आवेदको द्वारा जमा कराई गई लीज राशि का प्रमाण पत्र/एक मुश्त लीज मुक्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16.10.2013 तक आवश्यक रूप से जारी कर दिया जावे।

उक्त आदेशों को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव- मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त वृत्त राज. आवा. मं.,
10. आवासीय अभियन्ता, खण्ड राज. आवा. मं.,
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. लेखाधिकारी वसूली वृत्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
14. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ लेखाधिकारी (वसूली)